संख्या-41 /2025/001-368-24-1-2025-51-2023

प्रेषक,

प्रभंजन यादव,

उप सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,

शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 21 अप्रैल, 2025

विषय:-वित्तीय वर्ष 2025-26 में रिवैम्प्ड योजनान्तर्गत विद्युत वितरण कम्पनियों की हानियों की फण्डिंग हेतु प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-1476/अधि0नि0(वित्त)/विप्र-2/आय-व्ययक/2025-26/468, दिनांक 27 मार्च, 2025 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में ऊर्जा विभाग के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक 2801-05-800-09-20 में रिवैम्प्ड योजनान्तर्गत विद्युत वितरण कम्पनियों की हानियों की फण्डिंग हेतु प्राविधानित धनराशि रूपये 5000,00,00,000/- (रूपये पॉच हजार करोड़ मात्र) में से प्रथम त्रैमास हेतु धनराशि रूपये 1250,00,00,000/- (रूपये एक हजार दो सौ पचास करोड़ मात्र) स्वीकृत कर आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण माह अप्रैल, मई एवं जून, 2025 में क्रमश: धनराशि रूपये 450,00,00,000/- (रूपये चार सौ पचास करोड़ मात्र), रूपये 450,00,00,000/- (रूपये चार सौ पचास करोड़ मात्र) एवं रूपये 350,00,00,000/- (रूपये तीन सौ पचास करोड़ मात्र) की मासिक किश्तों में किया जायेगा।

(2) द्वितीय त्रैमास हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के प्रस्ताव के साथ डिस्कॉम्स के वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनन्तिम लेखों के साथ प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

(3) उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता होने पर किया जायेगा।

(4) उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई,

1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाया जायेगा तथा तत्संबंधी बिल ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को प्रतिहस्ताक्षर हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश लखनऊ/प्रयागराज और ऊर्जा विभाग तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

(6) इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) प्रथम किश्त के आहरणोपरान्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने पर ही अगली किश्त की धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 12,50,00,00,000 (रुपये बारह अरब पचास करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 009 **लेखा शीर्षक** 2801058000900 रिवैम्प्ड योजना के अन्तर्गत विद्युत वितरण कम्पनियों की हानियों की फण्डिंग **मानक मद** 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-10-6-X-2025-26-दिनांक:16-4-2025 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

प्रभंजन यादव
उप सचिव।

संख्या-41 /2025/001-368(1)-24-1-2025-51-2023, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001
3- कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा-।।), उ0प्र0, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
6- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

प्रभंजन यादव
उप सचिव।